न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मनमोहन व्यास , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 29/2019

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादी :-
1. मोतीराम पुत्र अमराराम जाति-जाट, निवासी-पिपलियां, तहसील--जैतारण, जिला-पाली (राज.) 2. गीतादेवी पत्नी सुरेश चौधरी जाति-जाट, निवासी-जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)		1. तहसीलदार, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 111,128, 131,136 LR Act.

तारीख रजूः. 22/02/2019

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्तागण, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 18/03/2019

वकील मय प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-फुलमाल, पटवार हल्का-फुलमाल, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 446/17 रकबा 50 बीघा किस्म बारानी दोयम की आयी हुई है। जिसमें 1/2 हिस्सा प्रार्थी संख्या 01 का व 1/2 हिस्सा प्रार्थी संख्या 02 का है। प्रार्थी संख्या 1 ने इस भूमि में 2/10 हिस्से की भूमि पूर्व में ही मंगलाराम सैन वगैरा से खरीद की है। जिसका बैचान विलेख व चालू जमाबंदी की प्रमाणित प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। प्रार्थीगण की उक्त भूमि मौके पर फुलमाल से लासनी जाने वाले रास्ते के उत्तरी तरफ स्थित है तथा वही पर प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा व हक अधिकार भी है। लेकिन प्रार्थीगण की उक्त भूमि नक्शा में गलत स्थान तरमीम की हुई है। इस भूमि के नक्शे में व तरमीम दर्शायी गई स्थल पर उक्त खसरा नम्बर 446/17 स्थित नहीं होकर व सड़क के उतरी तरफ व सड़क सीमा छोडकर व उसके पास ही स्थित है। इस प्रकार से इस खसरा नम्बर के नक्शे में की गई तरमीम काबिल दुरूस्ती के है। खसरा नम्बर 446/17 की भूमि गलत तरमीम होने की वजह से प्रार्थी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि को आपसी सहमति से अलग-अलग बांटना चाहते है लेकिन भूमि गलत तरमीम होने की वजह से प्रार्थीगण की आपसी सहमति से बंटवाड़ा व तरमीम की कार्यवाही नही हो रही है। प्रार्थीगण को उक्त गलत व तरमीम के बाबत् पहली बार दिनांक 02/02/2019 को पटवारी हल्का से बंटवाडे बाबत् निवेदन करने पर व उनके द्वारा मौका की जांच करने पर गलत तरमीम होना ज्ञात हुआ है। जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से इस बाबत् दुरूस्ती करने हेतु निवेदन किया । तो उनके द्वारा इस बाबत् न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रकार से प्रार्थीगण के पास अदालत श्रीमान् के समक्ष यह कार्यवाही पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से व तरमीम की दुरूस्ती की कार्यवाही अदालत श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत है। इस प्रकरण की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार अदालत श्रीमान् को ही प्राप्त है। साथ ही 02/02/2019 को हल्का पटवारी द्वारा गलत तरमीम की जानकारी देने पर व अप्रार्थी द्वारा दुरूस्ती करने से इंकार करने पर बिनाय वाद भी उत्पन्न हुआ जिस

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पर प्रार्थीगण को यह कार्यवाही पेश करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इस प्रकार प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर माफिक प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने तथा प्रार्थीगण का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम को दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस वास्ते जबाब प्रा. पत्र तलब किया गया। तहसीलदार जैतारण से उक्त संबंध में वर्तमान वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई। जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया सा.मि. किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण /पटवारी हल्का ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की कि वर्तमान राजस्व लठ्ठा ट्रेस में ख.नं. 446/17 जो कि तरमीम सुदा हैं। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा नही है जो कि जांच रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शा अनुसार बिन्दू "ए" से दर्शाया गया हैं। बिन्दू सं. "बी" में दर्शाया गया क्षेत्र प्रार्थीगण के कब्जा की भूमि हैं जो कि लगभग 25.00 बीघा हैं। बिन्दू सं. "सी" में दर्शायी गई भूमि प्रार्थीगण के कब्जे में हैं जो कि बिना तरमीम की हैं। जो कि 25 बीघा बनती हैं। जवब प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि प्रार्थीगण मोतीराम पुत्र अमराराम जाट निवासी पिपलियाखुर्द तथा गीतादेवी पत्नि सुरेश चौधरी निवासी जैतारण की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 446/17 रकबा 50 बीघा सरहद मौजा फूलमाल में स्थित हैं। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की कृषि भूमि की तरमीम वर्तमान में गलत जगह दर्ज हो चुकी हैं। प्रार्थीगण का कब्जा काश्त ग्राम फूलमाल से लासनी जाने वाले रास्ते के उत्तर में स्थित हैं। बहस वकील प्रार्थीगण एवं सरकारी पैरोकार की सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस पर गौर किया गया। तहसीलदार जैतारण को उक्त आराजी की वर्तमान तरमीम को पटवारी हल्का / भू. अ. निरीक्षक एवं तहसीलदार जैतारण की जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शे अनुसार दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

-:: <u>आदेश</u> ::-

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। राजस्व मौजा-फुलमाल, पटवार हल्का-फुलमाल, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 446/17 रकबा 50 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि के राजस्व लठ्ठा नक्शा में की वर्तमान तरमीम को पटवारी हल्का / भू. अ. निरीक्षक एवं तहसीलदार जैतारण की जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शे अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय मय नजरी नक्शे की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 18/03/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner